पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 18 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 09.04.2024

दिनांक 08/09.04.2024 को थाना चिनहट 07, सुशान्त गोल्फ सिटी 02, गाजीपुर 01, तालकटोरा 08, अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में थाना माल 01, इटौंजा 01, गुड़म्बा 02, अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 18 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना निगोहा:- आज दिनांक-09.04.2024 को थाना निगोहा द्वारा बताया गया कि वादी श्री नारेन्द्र पुत्र स्वामी दयाल नि०-ग्राम रतनापुर थाना निगोहा जनपद लखनऊ ने थाना निगोहा पर सूचना दिया कि दिनांक 08.04.2024 को समय करीब 11.00 बजे दिन में स्थान लालपुर टावर के पास वादी के पिताजी डिवाइडर क्रास कर रहे थे कि लखनऊ की ओर से रायबरेली की तरफ जा रही UP32 डीएफ 3766 लाल रंग की कार के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा कार को तेजी से लापरवाही पूर्वक चलाकर वादी के पिताजी स्वामी दयाल उपरोक्त को टक्कर मार दी जिससे वादी के पिताजी गम्भीर रुप से घायल हो गये। वादी के पिताजी को इलाज कराने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहनलालगंज लखनऊ लाया गया, जहां पर डाक्टरों ने वादी के पिताजी स्वामीदयाल उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया। **इस सूचना पर थाना निगोहा पर मु0अ0सं0 65/2024 धारा 279/304-ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना पारा:- आज दिनांक-09.04.2024 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि आगन्तुक श्री बबलू पाल पुत्र राम चन्द्र निवासी बुद्धेश्वर पाल कालोनी थाना पारा लखनऊ ने थाना पारा पर सूचना दिया कि आज दिनांक-09.04.2024 को वह अपने घर से बुद्धेश्वर चौराहे की तरफ से आ रहा था कि तभी उन्होनें देखा बुद्धेश्वर फ्लाई ओवर पुल के नीचे सब्जी मण्डी के बगल में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। **इस सूचना पर उ0नि0 श्री सुधीर कुमार यादव मो0-8574435060 थाना पारा द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक के विषय जानकारी की गई तो मृतक की पहचान विपेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र हरिकरन राव श्रीवास्तव निवासी किराये का मकान आदर्श विहार कालोनी थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष के रुप में हुई है। मृतक विपेन्द्र श्रीवास्तव उपरोक्त जनसेवा केन्द्र आदर्श विहार निकट सुदामा होटल पर काम करता था। जनसेवा केन्द्र के मालिक द्वारा बताया गया कि मृतक के माता-पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी जिस कारण वह काफी समय से यहीं पर रह रहा था।

थाना महानगर:- आज दिनांक-09.04.2024 को थाना महानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री अजय कुमार गौतम निवासी-रिजर्व लाइन्स कमिश्नरेट लखनऊ ने थाना महानगर पर सूचना दिया कि दिनांक-02.04.2024 को समय करीब 11.00 बजे TV चैनल हंगामा के कस्टमर नंम्बर 9038898143 पर विशाल माथुर पुत्र श्री गोकुल माथुर तहसील बिजौली झाँसी उ0प्र0 अम्बेडकरनगर आरा मशीन पोस्ट BHE सेमरवारी थाना बबीना रिपोटिंग पुलिस चौकी BHEL झाँसी पिन नं0 284120 से बात हो ही रही थी। उसी दौरान वादी के SBI खाता केनरा बैंक शाखा सिटी ब्रांच झाँसी सिविल लाइन से फ्राड करके कुल 98,686/-रुपये स्थानान्तरण कर लिया गया। उक्त व्यक्ति (फ्राड करने वाले का) का नाम पता बैंक के द्वारा सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ है। **इस सूचना पर थाना महानगर पर मु0अ0सं0-100/2024 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**